न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 13/2023

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर		विक्की अरोड़ा पुत्र श्री अर्जुन अरोड़ा जाति-अरोड़ा, निवासी महेता जी का नोहरा, नागौरी गेट के अन्दर, जोधपुर फर्म अरोड़ा स्वीट एण्ड नमकीन प्रताप नगर टेम्पों स्टेण्ड जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितिः –
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री पुष्पराज पालीवाल प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 21.10.2024

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी विक्की अरोड़ा पुत्र श्री अर्जुन अरोड़ा जाति अरोड़ा निवासी महेता जी जी का नोहरा नागौरी गेट के अन्दर जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 08 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 03.08.2023 को जिला प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा अरोड़ा स्वीटस एण्ड नमकीन प्रताप नगर टेम्पो स्टेण्ड जोधपुर की आकस्मिक जांच करने पर उपस्थित व्यक्ति ने अपना विक्की अरोड़ा पुत्र श्री अर्जुन अरोड़ा बताया एवं प्रतिष्ठान पर मौके पर भारत गैस के 08 घरेलु गैस सिलेण्डर पाए गए, जिनका उपयोग प्रतिष्ठान पर मि[illegible]कान बनाने हेतु किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2024.12.17 16:22:17 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

किया जा रहा था। इस बाबत प्रतिष्ठान संचालक द्वारा कोई भी दस्तावेज तथा कनेक्शन डायरी प्रस्तुत नहीं की गई जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्र. स.	गैस कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	सिलेण्डर का वजन	कुल वजन	गैस का वजन (किलो में)
1.	भारत गैस	512605	15.1 कि.ग्रा.	19.0 कि.ग्रा.	3.9 कि.ग्रा.
2.	भारत गैस	184338	15.4 कि.ग्रा.	27.0 कि.ग्रा.	11.6 कि.ग्रा.
3.	भारत गैस	242270	15.9 कि.ग्रा.	29.8 कि.ग्रा.	13.9 कि.ग्रा.
4.	भारत गैस	193919	15.5 कि.ग्रा.	23.6 कि.ग्रा.	8.1 कि.ग्रा.
5.	भारत गैस	988864	15.3 कि.ग्रा.	16.1 कि.ग्रा.	0.8 कि.ग्रा.
6.	भारत गैस	020302	15.7 कि.ग्रा.	23.1 कि.ग्रा.	7.4 कि.ग्रा.
7.	भारत गैस	944648	15.7 कि.ग्रा.	24.9 कि.ग्रा.	9.2 कि.ग्रा.
8.	भारत गैस	394595	15.7 कि.ग्रा.	29.7 कि.ग्रा.	14.0 कि.ग्रा.

उक्त 08 घरेलु गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया जाकर प्रतिनिधि महावीर गैस सर्विस चौपासनी रोड़ जोधपुर को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त 08 घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अत: प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त 08 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहने पर प्रार्थी विभागीय पेरोकार की की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री पुष्पराज पालीवाल प्रवर्तन अधिकारी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा वक्त जांच मौके पर भारत गैस के 08 घरेलु गैस सिलेण्डर पाए गए, जिनका उपयोग प्रतिष्ठान पर मिठाई व नमकीन बनाने हेतु किया किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा 08 घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण व व्यावसायिक उपयोग में लिया जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जब्त उक्त 08 घरेलू गैस सिलेण्डर को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

हमने विभागीय पेरोकार की एकपक्षीय बहस पर मनन एवं प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वक्त जांच मौके पर उक्त 08 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये जिसके संबंध में अप्रार्थी द्वारा किसी तरह के दस्तावेज तथा कनेक्शन डायरी प्रस्तुत नहीं की गई। ... उक्त 08 घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग प्रतिष्ठान पर मिठाई व नमकीन ... हेतु अवैध भण्डारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2024.12.17 16:22:17 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर (द्वितीय) ... राज०

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

किया जाकर व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा था जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा उक्त 08 (आठ) घरेलू गैस सिलेण्डरों को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जब्तसुदा 08 (आठ) घरेलू गैस सिलेण्डरों का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2024.12.17 16:22:17 IST
Reason: SelfAttested